न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 199/2010 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. हिरालाल पिता फुलचन्द, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी हाल निवासी कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कान्तिलाल पिता फुलचन्द, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी हाल निवासी नौगाम, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. देवेन्द्र कुमार पिता फुलचन्द, जाति सुनार, निवासी ठीकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. भूपेन्द्र कुमार पिता फुलचन्द, जाति सुनार, निवासी बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती आनन्दी बेवा फुलचन्द, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. ललित पिता फुलचन्द, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. अर्जुनलाल पिता धुलजी, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

1/1. ईश्वरलाल पिता अर्जुनलाल, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. सूर्यकरण पिता अर्जुनलाल, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. महेन्द्र पिता अर्जुनलाल, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

1/3/1. श्रीमती ममता पत्नी महेन्द्र, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3/2. सुश्री भुवनेश्वरी पुत्री महेन्द्र, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. कमलेश पिता अर्जुनलाल, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. हरीश कुमार पिता केसरीमल, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. राजेन्द्र कुमार पिता केसरीमल, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. श्रीमती नीमा पत्नी केसरीमल, जाति सुनार, निवासी अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. तहसीलदार भूमिधारी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
दिनांक 13.07.2010 प्र.सं. 51/2010

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री नन्दलाल पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री अब्दुल रज्जाक अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 से 4
3— राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय **दिनांक 21—03—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा 88 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता स्वर्गीय धूलजी की कृषि भूमि आराजी नंबर 1810 रकबा 0.7200 हैक्टर ग्राम बखतपुरा में स्थित है, जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति होकर उनको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। स्वर्गीय धूलजी ने दिनांक 21—05—1967 को पारिवारिक बंटवाड़ा एवं अंतिम इच्छा पत्र जारी किया, जिसके अनुसार उक्त भूमि का एक मात्र स्वामी वादी होकर काबिज चला आ रहा है। वादी की जानकारी के बगैर नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 11—10—2001 को विरासत के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पक्ष में स्वीकृत किया गया, जो अवैध है एवं उक्त नामान्तरकरण द्वारा की गयी प्रविष्टियां जिसमें प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का संयुक्त कृषक बनाया गया है, उसे अपास्त किया जाकर वादीगण को उक्त भूमि का एक मात्र खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 6 से 8 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र झूठा एवं गलत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा जवाबदावा की कलम संख्या 12 में वर्णित किया। मूलपुरूष टेकचन्द जी थे, जिनसे भूमियां धूलजी के नाम पर दर्ज हुई तथा धूलजी के बाद उनके पुत्र फूलचन्द, अर्जुनलाल व केसरीमल मालिक काबिज हुए। नामान्तरकरण सही खुला एवं विधिवत राजस्व रेकार्ड में

भूमियां दर्ज हुई हैं। पारिवारिक बंटवाड़ा एवं अंतिम इच्छा पत्र बनावटी व झूठा है तथा स्टाम्पित एवं रजिस्ट्रीकृत नहीं है। सहखातेदार फूलचन्द के एक अन्य वारिस ललित को पक्षकार नहीं बनाने से नोन ज्योईन्डर ऑफ पार्टीज वाद खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. आया प्रश्नगत भूमि धूलजी की स्वअर्जित संपत्ति थी वसीयत के आधार पर वादी उसका स्वामी है अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं है। वादी की जानकारी के बिना नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 11–10–2001 विरासत का खोला गया जो विधि विपरीत है। खारिज योग्य है। वादी एक मात्र खातेदार होने योग्य है। वादी ही भूमि पर काबिज है ? ..... वादी
2. आया धूलजी ने 21–05–1967 को इच्छा पत्र जारी नहीं किया। पारिवारिक सजरे अनुसार पक्षकार काबिज चले आ रहे हैं। नामान्तरकरण विधि अनुसार है। बिना भूमिधारी की अनुमति के विभाजन स्वीकार नहीं है ? ..... प्रतिवादी संख्या 6 से 8
3. आया इच्छा पत्र पंजीकृत व स्टाम्पित नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ? ..... प्रतिवादी संख्या 6 से 8
4. आया वाद में ललित को पक्षकार न बनाने से नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज का दोष है। सभी पक्षकार हिस्सानुसार काबिज हैं। वाद खारिज योग्य है ? ..... प्रतिवादी संख्या 6 से 8
5. अनुतोष ?

प्रकरण में दिनांक 23–06–2009 को वादी की साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। दिनांक 23–03–2010 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गढ़ी को स्थानान्तरित की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी की साक्ष्य पर जिरह बन्द किये बिना तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये बिना अपने निर्णय दिनांक 13–07–2010 से वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 31–08–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से वकील श्री अब्दुल रज्जाक

उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए तथा गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

→ प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को वादी की साक्ष्य से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा प्रतिवादीगण को भी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर नहीं दिया गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित तथ्यों के विपरीत होने से तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को वादी की साक्ष्य से जिरह करने का तथा उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 21–05–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **कुशलगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।